वित्त निर्देश 33/2023

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
-:: मंत्रालय ::-
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

क्रमांक : 571/260/वि/नि/चार/2020 नवा रायपुर, दिनांक- 12/09/2023

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़.

विषय :- सीधी भर्ती के पदों पर 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में प्रथम 3 वर्ष में क्रमशः वेतनमान के न्यूनतम का 70%, 80% एवं 90% स्टायपेण्ड दिये जाने के प्रावधान को समाप्त करने विषयक।

--00--

वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक 372/260/वि/नि/चार/2020, दिनांक 29.07.2020 (वित्त निर्देश- 21/2020) एवं सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना दिनांक 28.07.2020 तथा वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 28.07.2020 द्वारा सीधी भर्ती के समस्त पदों पर 03 वर्ष की परिवीक्षा पर रखे जाने एवं परिवीक्षाधीन अवधि पर नियुक्त शासकीय सेवकों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में क्रमशः उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 70%, 80% एवं 90% राशि स्टायपेण्ड के रूप में दिये जाने का प्रावधान किया गया है।

2- वित्त निर्देश के उपरोक्त प्रावधान शासकीय विभाग/कार्यालयों के साथ सभी निगम/मंडल/आयोग/प्राधिकरण/विश्वविद्यालय/अनुदान प्राप्त स्वशासी संस्थाओं आदि में भी सीधी भर्ती के पद पर भर्ती पर लागू किया गया है।

3- राज्य शासन द्वारा विचारोपरान्त सीधी भर्ती से नियुक्ति पर परिवीक्षावधि में स्टायपेण्ड के प्रावधान को समाप्त कर, उस पद के वेतनमान के न्यूनतम वेतन पर वेतन निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया है, जिसके लिए निम्नानुसार प्रावधान किये जाते हैं :-

3.1- सीधी भर्ती पर परिवीक्षावधि में उस पद के वेतनमान के न्यूनतम वेतन दिये जाने का प्रावधान वित्त विभाग की पूर्व अधिसूचना दिनांक 28.07.2020 से भूतलक्षी प्रभाव से लागू होंगे। दिनांक 28.07.2020 से इस आदेश के जारी होने के मध्य नियुक्त शासकीय सेवकों का वेतन निर्धारण नियुक्ति दिनांक से काल्पनिक (Notional) आधार पर किया जाकर वास्तविक आर्थिक लाभ इस आदेश दिनांक से प्राप्त होगा। इस प्रकार काल्पनिक (Notional) आधार पर किये गये वेतन निर्धारण के फलस्वरूप किसी प्रकार के एरियर्स की राशि देय नहीं होगी।

क्रमशः 2

3.2- विधिवत् विभागीय अनुमति प्राप्त कर, अन्य सेवा में आने वाले शासकीय सेवकों को जिनके द्वारा पूर्व पद से तकनीकी त्याग पत्र दिया गया है, को वेतन संरक्षण का लाभ मूलभूत नियमों के प्रावधानों के अनुरूप पूर्ववत् प्राप्त होगा।

3.3- ऐसे प्रकरणों में सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियुक्ति दिनांक से वेतन संरक्षण का लाभ दिया जा सकेगा किन्तु दिनांक 28.07.2020 से इस आदेश के जारी होने के मध्य नियुक्त शासकीय सेवकों के प्रकरणों में वेतन संरक्षण का निर्धारण काल्पनिक (Notional) आधार पर किया जाकर वास्तविक आर्थिक लाभ इस आदेश दिनांक से प्राप्त होगा। इस प्रकार काल्पनिक (Notional) आधार पर वेतन संरक्षण हेतु किये गये वेतन निर्धारण के फलस्वरूप किसी प्रकार के एरियर्स की राशि देय नहीं होगी।

3.4- वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 28 जुलाई, 2020 द्वारा किये गये संशोधन के स्थान पर मूलभूत नियम 22 सी(1), अ एवं ब के संशोधन पूर्व के प्रावधान को यथावत् किये जाने हेतु संबंधित नियमों में आवश्यक संशोधन पृथक से जारी किये जा रहे हैं।

3.5- स्पष्ट किया जाता है कि, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सीधी भर्ती के प्रकरणों में 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि के प्रावधान यथावत् लागू है।

3.6- इस आदेश के प्रावधान शासकीय विभाग/कार्यालयों के साथ सभी निगम/मंडल/आयोग/प्राधिकरण/विश्वविद्यालय/अनुदान प्राप्त स्वशासी संस्थाओं आदि में भी सीधी भर्ती के पद पर भर्ती पर लागू होंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(इन्द्रप्रकाश सत्रे)
अवर सचिव

पृष्ठां. क्रमांक : 572/260/वि/नि/चार/2020 नवा रायपुर, दिनांक- 12/09/2023

प्रतिलिपि :-

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर
3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर
4. रजिस्ट्रार जनरल/महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़
7. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
8. मुख्य सचिव के उप सचिव, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
9. सचिव, वित्त के निज सहायक, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
10. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर
11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
12. राज्य सूचना आयुक्त, सेक्टर -19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर
13. छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर विविध सेवा मार्ग, बिलासपुर
14. समस्त विशेष सचिव/संचालक, बजट/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/शोध अधिकारी/विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
15. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर
16. मुख्य लेखाधिकारी, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
17. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़
18. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/इन्द्रावती कोषालय, छत्तीसगढ़
19. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर/बिलासपुर, छत्तीसगढ़
20. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, नवा रायपुर अटल नगर

...............को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु

21. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर को वित्त विभाग की वेबसाइट www.cgfinance.nic.in पर अपलोड करने हेतु

(इन्द्र प्रकाश रात्रे)
अवर सचिव